| ादेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| | शस्त्र वाद सं. 114/2014 | |

**सारण समाहरणालय, छपरा।**

**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**

**जिला विधि प्रशाखा**

**अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–राजदेव सिंह, सा0–शाहपुर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण**

**आदेश**

9/12/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5407/गो0 7.12.14 के द्वारा आवेदक अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–राजदेव सिंह, सा0–शाहपुर, थाना–सोनपुर जिला–सारण का एक रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनका घर दियारा क्षेत्र के अंतर्गत है। दियारा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का काफी प्रभाव है, जिसके कारण पूरा गॉव भयग्रस्त रहता है। आवेदक को अपने व्यापार एवं खेती–बारी संचालित करने में कठिनाई होती है। साथ ही अपने जानमाल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करने में अक्षम पाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस थानाध्यक्ष, सोनपुर के डी.आर. 221 दिनांक 21.2.13, एवं डी.आर 1969 दिनांक 20.9.14 अनुमंडल. पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 376 दिनांक 7.3.13 तथा पत्रांक 1986 दिनांक 21.9.14, अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 304 दिनांक 2.4.13 तथा पत्रांक 1590 दिनांक 18.11.14 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 470 दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1167 दिनांक 27.9.14 एवं 1376 दिनांक 4.12.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5407/गो0 दिनांक 7.12.14 के द्वारा प्रेषित किया गया।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे

की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा स संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–राजदेव सिंह, सा0–शाहपुर, थाना–सोनपुर जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की ज़ाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 31 /न्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधिशाखा
सारण, छपरा।

13/1/15